

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हलाल में होने की ताईद की है तथा बताया की संलग्न नक्शों के बिन्दु 'ए' से 'बी' पर मौके पर रास्ता चल रहा है। विप्रार्थीगणों के द्वारा मौके पर प्रस्तावित रास्ता न चलने जाहिर किया इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा पुनः रिपोर्ट लेने पर मौके पर रास्ता चलना बताया गया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट बताया कि रास्ता पूर्व में परिशिष्ट -अ अनुसार ही मौके पर चल रहा है। पटवारी हल्का मौजा निम्बाखेडा ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शों में 'ए' से 'बी' तक ख० न० क्रमश 125/46, 137/126, 138/126, 139/126 रकबा क्रमश 1.04, 0.06, 0.05, 0.06 बीघा रास्ता वर्तमान में चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकार्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शों में तरमीम करने की प्रार्थना की है। विप्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि में वर्तमान में रास्ता चल रहा है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तवेजों का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन / तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म में मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा निम्बाखेडा में अवस्थित ख०न० 125/46, 137/126, 138/126, 139/126 रकबा क्रमश 1.04, 0.06, 0.05, 0.06 बीघा के बिन्दु 'र' से 'बी' होते हुए नक्शों में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जात है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते में ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी' तक का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा।

पत्रावली फौसल शुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2017 को सुनाया गया।

(भागीरथ राम)  
भू-अभिलेख अधिकारी,  
सहायक कलेक्टर,  
(3.5.3) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा, पीठासीन अधिकारी  
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 565/2016

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
तहसीलदार, पंचपदरा		1. लूबीया, देवीया पुत्र गहेना, भाखरराम, कुंपाराम पुत्र रुघनाथराम, झमकू पत्नि रुघनाथ राम, धूडाराम नेनाराम पुत्र रूपाराम, मदाराम पुत्र पुरखाराम कलबी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86  
भू-अभिलेख नियम 1970

आदेश

दिनांक:- 31.10.2017

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पंचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गश्त गिरदावरी ग्राम निम्बाखेडा मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नहीं है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते/ सडक के रूप मे अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा निम्बाखेडा के ख0न0 क्रमशः 125/46, 137/126, 138/126, 139/126 रकबा क्रमश 1.04, 0.06, 0.05, 0.06 बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, विप्रार्थीगणों द्वारा अपना जबाब पेश किया गया।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा